

## <sup>2</sup>[ भाग 6

### प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अनर्हता

<sup>3</sup>[453. 4[(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि-

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत-चित्त या बहरा या गूगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;

(घ) उसे, निबन्धक की राय में नैतिक पतन से समन्वित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ.) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कराबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा समिति करती हो;

(च) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह समिति के अधीन या किसी अन्य समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर

लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;

(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य हो;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोषसिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिए गये ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः मास से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक, एक केन्द्रीय और एक शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति और एक केन्द्रीय समिति और एक प्राथमिक समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त समिति से त्यागपत्र, दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा

आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अनिधनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

1. अधिसूचना सं०, या 719 एम०/49-1-95-7(10)/95 दिनांक 16.11.95 द्वारा बदला गया।

2. अधिसूचना संख्या 3815/सी०-1-77-7(5), 1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा रखे गये।

3. अधिसूचना संख्या 965/49-1-2003-500(24)/2003 दिनांक 28 मई 2003 द्वारा प्रतिस्थापित जो कि उ०प्र० असाधारण गजट भाग-4 खण्ड(ख) दिनांक 28 मई 2003 को प्रकाशित हुआ।

4. अधिसूचना सं० 1309/49-1-2006-500(388)-05 दिनांक 2 मई 2006 जो उ०प्र० असाधारण गजट भाग-4 खण्ड(ख) दिनांक 2 मई 2006 को प्रकाशित हुआ (2-05-2006 से प्रभावी)।

## हिन्दी अनुवाद

<p>(2) A member of the committee of management of a co-operative society who absents himself from three consecutive meeting of the committee management without reasonable cause shall not be entitled to continue as a member of the committee of management.</p>	<p>(2) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य जो कि प्रबन्ध कमेटी की लगातार तीन बैठकों से स्वयं को बिना युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रखता है वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्य बने रहने का हकदार नहीं होगा।</p>
<p>(3) The provisions of sub-rule(2) shall not apply to a nominated or an ex officio member of the committee of management of a co-operative society.</p>	<p>(3) उपनियम (2) के प्रावधान सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नामनिर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।</p>

<p>(4) Any person who has contested for election to the membership of the committee of the management of a co-operative society, but has lost such election, shall not be eligible to become such member by co-option of nomination.</p>	<p>(4) कोई व्यक्ति जिसने सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के निर्वाचन के लिए लड़ा है, परन्तु ऐसा निर्वाचन हार गया है, सहयोजना या नामनिर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।</p>
<p>(5) The disqualification laid down under sub-rule (1) shall apply subject to the following conditions:</p>	<p>(5) उपनियम (1) के अधीन अधिकथित अनर्हताये निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन लागू होंगी -</p>

<p>(i) the disqualification laid down in clause (h) shall not apply to a nominated or an ex officio member of the committee of management or to such co-opted member of the committee of management for whose co-option membership of the general body was not a condition under the bye-laws of the society;</p>	<p>(i) खण्ड (ज) में अधिकथित अनर्हता प्रबन्ध कमेटी के नामनिर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य जिसके लिए समिति के उपविधि के अधीन सामान्य निकाय की सहयोजना सदस्यता होना शर्त नहीं थी पर लागू नहीं होगी;</p>
<p>(ii) the disqualification laid down</p>	<p>(ii) खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में अधिकथित अनर्हता दोषसिद्ध के अधीन जुर्माना की</p>

<p>in clause (d) or clause (m) shall cease to operate on the expiry of five years after the payment of the fine under the conviction or after he has served out the sentence under the conviction or after the order of dismissal, as the case may be;</p>	<p>अदायगी के पश्चात् पाँच वर्ष की समाप्ति पर या दोषसिद्ध के अधीन या पदच्युति के आदेश के पश्चात् दण्डादेश काट चुका है, यथास्थिति, को प्रवृत्त नहीं होगी;</p>
<p>(iii) the disqualification laid down in clause (l) shall not apply to a Government servant nominated on the committee of management</p>	<p>(iii) खण्ड (ठ) में अधिकथित अनर्हता धारा 34 के अधीन सहकारी समिति के प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित सहकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी।]</p>

of a co-operative society under section 34.]	
---	--

<sup>1</sup>[453 -क. कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति से सम्बद्ध हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो पश्चात्पूर्वी समिति के सामान्य निकाय में किसी सहकारी समिति का सदस्य रहा हो, नियुक्त नहीं करेगी, यदि -

- (1) वह सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न रह जाये, या
- (2) वह पश्चात्पूर्वी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए कोई अनर्हता प्राप्त कर ले जैसा कि नियम 453 में निर्धारित है।

**454.** किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का यह देखना कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जायें, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य का पद धारण न किये रहे। ज्यों ही यह तथ्य प्रबन्ध कमेटी की जानकारी में आये कि कोई सदस्य किसी प्रकार की अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसा सदस्य होने के पूर्व या उसके पश्चात अनर्ह हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस सदस्य को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) दी जायेगी। यदि सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी भी



अन्य प्रकार से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थिति होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसे कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीन दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(5), 1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा बढ़ाया गया।